जनपद – संतकबीरनगर*　　　　　*प्रेस विज्ञप्ति*　　　　　*दिनाँक 18.05.2024

दबिश के दौरान 06 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में- - **थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02** वारण्टी नाम पता 1- देवानन्द पुत्र गिरीश शुक्ला निवासी मुण्डेरा शुक्ल 2- शंकर लाल पुत्र रुपई राजभर निवासी कोचरी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री गामा यादव, उ0नि0 श्री रामाशंकर प्रसाद, हे0का0 आनन्द दूबे।

थाना महुली पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता सर्वजीत शर्मा पुत्र दयाराम शर्मा निवासी खरवनिया खुर्द थाना महुली व दीनानाथ पुत्र चन्दा निवासी सड़हरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राकेश कुमार गुप्ता, उ0नि0 श्री पवन कुमार शुक्ला, का0 रंगप्रीय गौतम, का0 छोटेलाल।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता लैस मो0 पुत्र झामलाल निवासी बेलहरखुर्द थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शम्भूराम, हे0का0 कोमल प्रसाद।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता अनिरुद्ध पुत्र भोली निवासी कुड़वा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, का0 सोनू कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 99 वाहनों से 1,24,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 18.05.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 99 वाहनों से 1,24,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मोटरसाइकिल चोरी कर उसके वाहन पार्ट्स बेचने से प्राप्त 3000 रु0 के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 09.05.2024 को वादी सुरेन्द्र पुत्र राजाराम निवासी दुनिवा गुलरिहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि उनकी मोटरसाइकिल रजि0नं0 यू0पी0 58जे09864 जिसे सर्विसिंग हेतु आजाद आटो मोबाइल्स शेरपुर मगहर को दिया गया था जहाँ से अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 377/2024 धारा 379 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण के निर्देश के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा डीघा बाईपास के पास से चोरी किए गए वाहन पार्ट्स बेचने के उपरान्त शेष बचे 3000 रु0 के साथ 01 अभियुक्त अभियुक्त दीपक सोनी पुत्र रामचन्द्र सोनी निवासी ग्राम इटईरामपुर थाना उतरौला जनपद बलरामपुर हाल मुकाम रुस्तम बिहार कालोनी नादरगंज थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

दीपक सोनी पुत्र रामचन्द्र सोनी निवासी ग्राम इटईरामपुर थाना उतरौला जनपद बलरामपुर हाल मुकाम रुस्तम बिहार कालोनी नादरगंज थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ।

बरामदगी-

चोरी किए गए वाहन पार्ट्स बेचने के उपरान्त शेष बचे 3000 रु0।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 377/2024 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल– उ0नि0 श्री राजीव सिंह, का0 त्रिभुवन यादव, का0 गिरिजेश मद्धेशिया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा*** **द्वारा** मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 279/2024 धारा 363/366/376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता निसार अहमद पुत्र नक्कू निवासी ग्राम छपरामगर्वी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को ग्राम छपरामगर्वी से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को अविलम्ब गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री गामा यादव, आ0 हसरत सहनवाज।

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप लापरवाही पूर्वक वाहन दुर्घटना कारित करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक अभिरक्षा व कुल 2500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 18.05.2024 को ***न्यायालय – ए0सी0जे0एम0, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना बखिरा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 134/2023 धारा 279, 427 भादवि के मामलें में अभियुक्त नाम पता फुलचन्द यादव पुत्र मनोहर यादव निवासी समदहा थाना बखिरा जनपद संतकबारनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोषसिध्द किया गया। अभियुक्त को न्यायालय उठने तक अभिरक्षा एवं धारा 279 भादवि के अपराध 1000 रुपये व धारा 427 भादवि के अपराध में 1500 कुल 2500 रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया जुर्माना अदा न करने पर 25 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा